UPMO010031132026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, मुरादाबाद।

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–861/2026

1. सुलेमान उम्र लगभग 27 वर्ष पुत्र निजामुद्दीन,
2. श्रीमती इल्मा उम्र लगभग 23 वर्ष पत्नी सुलेमान

निवासीगण मौहल्ला तकिया वाला, भोजपुर धर्मपुर, थाना भोजपुर, जिला मुरादाबाद।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

मुकदमा अपराध संख्या-27/2026,
धारा-111(2)बी, 308(5), 317(2),
115(2), 351(3) बी0 एन 0 एस 0
थाना-मुगलपुरा, जिला-मुरादाबाद।

25.03.2026

1- प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्तगण सुलेमान व श्रीमती इल्मा की ओर से मुकदमा अपराध संख्या-27/2026, अन्तर्गत धारा-111(2)बी, 308(5), 317(2), 115(2), 351(3) बी0 एन 0 एस 0, थाना मुगलपुरा, जिला मुरादाबाद के सम्बन्ध में प्रस्तुत किया गया है।

2- जमानत प्रार्थनापत्र में अभियुक्तगण द्वारा यह कथन किया गया है कि, अभियुक्तगण का उक्त केस में यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है। अभियुक्तगण का अन्य कोई जमानत प्रार्थना पत्र यहां अन्य किसी न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय तथा सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन नहीं है, न ही निरस्त हुआ है।

3- संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार हैं कि, वादी मुकदमा नौशाद द्वारा एक लिखित तहरीर सम्बन्धित थाने पर दिनांक 25.02.2026 को इस आशय की प्रस्तुत की गयी कि, प्रार्थी लगभग 03 माह पूर्व कबाड़, लोहा आदि बेचने के लिए सुलेमान की दुकान पर गया था। इसी बीच प्रार्थी का मोबाईल फोन लेकर सुलेमान ने मोबाईल नम्बर-9027085513 पर एक कॉल की, फिर अगले दिन उसी नम्बर से कॉल आने लगे, जिस पर लड़की बोल रही थी और अपना नाम शगुफ्ता बताने लगी कि, मैं ताजपुर माफी में रहती हूँ। हम दोनों की बातें होने लगी, लगभग 01 माह तक हम दोनों में प्रेम की बाते हुईं, फिर शगुफ्ता ने प्रार्थी को रेहाना नाम

Digitally signed by Jitendra Singh
Date: 2026.03.25 14:44:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

की लड़की के घर ताजपुर माफी में रेहाना से मिलवाया। इसी बीच रेहाना ने प्रार्थी की वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन प्रार्थी ने मोबाइल छीन लिया और वीडियो नहीं बनाने दी। उसी समय वहाँ इल्मा, इकरा, उबैद व सुलेमान, इमरान, नानू, चांदबी, सय्यद आ गये और सभी प्रार्थी के साथ मारपीट करने लगे तथा प्रार्थी के जबरदस्ती कपडे उतारकर प्रार्थी की वीडियो बनायी तथा 15 दिन तक इन सभी ने प्रार्थी की मेरी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल किया एवं कहा कि तुम 3,00,000/- रुपये दो, नहीं तो हम तुम्हारे खिलाफ झूठा बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा देंगे एवं तुम्हारी वीडियो वायरल कर देंगे। दिनाँक 18-10-2025 को शगुफ्ता का जीजा इमरान व सुलेमान व अनीस चौधरी व पप्पी चौधरी के द्वारा फिर प्रार्थी से 1,00,000/- रूपये की डिमांड की गई और रुपये न देने पर जान से मारने की धमकी दी और कहा कि, तेरे खिलाफ बलात्कार का मुकदमा दर्ज करा देंगे और लडकी का कोर्ट में 164 सीआरपीसी के बयान में कह देना ही काफी है, तुझे जेल भेजने के लिए, तुझे हम जिन्दगी भर जेल से छूटने नहीं देंगे। वीडियो वायरल होने एवं मुकदमा दर्ज होने के डर से प्रार्थी बहुत घबरा गया एव दिनांक 19.10.2025 को प्रार्थी अपनी माँ अशरफ जहां व अपने भाई अब्दुल रहमान को साथ लेकर इन सभी के बताये स्थान सुलेमान के घर पहुंचा एवं सुलेमान के घर पर 85,000/-रुपये नगद शगुफ्ता, इल्मा, इकरा, उबैद व सुलेमान, इमरान, नानू, चांदबी, सय्यद, अनीस चौधरी व पप्पी चौधरी के सामने रिहाना को दिये। इन सभी के द्वारा संगठित होकर मारपीट कर व डरा धमकाकर धोखाधड़ी कर प्रार्थी से 85,000/- रुपये हड़प लिये हैं। इसके बाद प्रार्थी को प्रार्थी के मित्र मौहम्मद फैसल ने बताया कि, यह लडकी शादीशुदा है और नये लड़कों को प्यार में फंसाकर पैसा वसूलती है और इसके साथ 4 अन्य लडकियां भी हैं, जो यही काम करती हैं। शगुफ्ता, इल्मा, इकरा, उबैद व सुलेमान, इमरान, नानू, चांदबी, सय्यद, अनीस चौधरी व पप्पी चौधरी, रिहाना उक्त सभी ने संगठित होकर ब्लैकमेल व मारपीट व जान से मारने की धमकी देकर प्रार्थी से रूपये हड़प लिये है। वादी की उक्त तहरीर के आधार पर अभियुक्तगण शगुफ्ता, इल्मा, इकरा, उबैद, सुलेमान, इमरान, नानू, चांदबी, सय्यद, अनीस चौधरी, पप्पी चौधरी व रिहाना के विरूद्ध सम्बन्धित थाने पर उक्त मुकदमा धारा-111, 308(5), 318(4), 115(2), 351(3) बी0 एन 0 एस 0 के अन्तर्गत पंजीकृत किया गया।

4- प्रार्थी/अभियुक्तगण की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में मूल तर्क यह लिये

गये हैं कि, प्रार्थीगण को उक्त केस में रंजिशन झूठा फसाया गया हैं। प्रार्थीगण निर्दोष हैं। प्रार्थीगण ने गिरो बनाकर किसी को वसूली करने के लिये डरा धमकाया नहीं हैं, न ही प्रार्थीगण से कोई रूपया बरामद हुआ है, न ही किसी के साथ मारपीट की और न ही किसी को जान से मारने की धमकी दी है। जिस प्रकार से घटना दर्शायी गयी है उससे समस्त केस झूठा व संदिग्ध प्रतीत होता है। उक्त घटना के सम्बन्ध में एफ०आई०आर० 07 दिन विलम्ब से दर्ज गयी है तथा देरी का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। घटना का कोई भी चश्मदीद पब्लिक का स्वतन्त्र साक्षी नहीं है। प्रार्थीगण दिनांक 12.03.2026 से जिला कारागार, मुरादाबाद में निरूद्ध है। प्रार्थीगण का कोई आपराधिक इतिहास नहीं हैं और न ही किसी भी अन्य केस में वांछित हैं न ही सजायाफ्ता मुल्जिमान रहे हैं। उपरोक्त आधारों पर जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

5- विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि, अभियुक्तगण ने अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर वादी मुकदमा को प्रेमजाल में फंसाकर उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उक्त वीडियो को वायरल करने व उसके विरूद्ध झूठा बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराने के भय में डालकर उससे रूपये वसूलकर संगठित आर्थिक अपराध कारित किया है। अपराध गंभीर प्रकृति का है। जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

6- जमानत प्रार्थना-पत्र पर प्रार्थी/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) के तर्कों को सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

7- पत्रावली के अवलोकन से प्रथम दृष्टया विदित है कि, प्रार्थी/अभियुक्तगण तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित हैं। तहरीर प्रथम सूचना रिपोर्ट में प्रार्थी/अभियुक्तगण पर अन्य सह-अभियुक्तगण के साथ मिलकर संगठित गिरोह बनाकर वादी मुकदमा को प्रेमजाल में फंसाकर व मारपीटकर उसकी अश्लील वीडियो बनाकर उक्त वीडियो को वायरल करने व उसके विरूद्ध बलात्कार का झूठा मुकदमा दर्ज कराने आदि के भय में डालकर उससे मुबलिग 85,000/- रूपये वसूलकर संगठित आर्थिक अपराध कारित करने आदि के आरोप हैं। वादी मुकदमा ने अपने बयान में प्रार्थी/अभियुक्तगण को घटना कारित करने वाले के रूप मे नामित किया है। दौरान विवेचना प्रार्थी/अभियुक्त सुलेमान की गिरफ्तारी के समय उसके कब्जे से, वादी मुकदमा से वसूले गये कथित रूपयों में से मुबलिग 2200/-रूपये व प्रार्थिनी/अभियुक्ता इल्मा की गिरफ्तारी के समय उसके कब्जे

से, वादी मुकदमा से वसूले गये कथित रूपयों में से मुबलिग 2100/-रूपये बरामद होना परिलक्षित है। मामले में विवेचना प्रचलित है। पत्रावली पर प्रार्थी/अभियुक्तगण की संलिप्तता हेतु पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध है। अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

8- अतः मामले के तथ्य, परिस्थितियों एवं अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुए इस स्तर पर, प्रार्थी/अभियुक्तगण को जमानत दिये जाने का पर्याप्त आधार नहीं है और प्रार्थी/अभियुक्तगण का जमानत प्रार्थना-पत्र निरस्त होने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी/अभियुक्तगण सुलेमान व श्रीमती इल्मा का जमानत प्रार्थना-पत्र, मुकदमा अपराध संख्या-27/2026, अन्तर्गत धारा-111(2)बी, 308(5), 317(2), 115(2), 351(3) बी0 एन 0 एस 0, थाना मुगलपुरा, जिला मुरादाबाद, निरस्त किया जाता है।

(जितेन्द्र सिंह–।।)
कृते सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश(भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम),
कोर्ट संख्या–1, मुरादाबाद।
25.03.2026